न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
89 / 2021 प्रा.पत्र / 2021	08.10.2021	15.03.2024

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ओम प्रकाश विनोद कुमार जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक राज. निवासी जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड—304021

............अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी स्वयं एवं उनके अभिभाषक श्री रमेश शर्मा उपस्थित।

:—निर्णय—: **दिनांक 15.03.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.05.2021 को समय 11:11 पीएम पर थानाधिकारी निवाई द्वारा दूरभाष पर आस जी की ढाणी चौरपुरा तह. निवाई में मिलावटी घी अलग—अलग ब्राण्ड बनाने के कारखाने की सूचना दी गई जिस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी आस जी की ढाणी चौरपुरा तह. निवाई जिला टोंक पर गोवर्धन मीणा के मकान पर पहुंचे जहां पर मैसर्स ओम प्रकाश विनोद कुमार जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक के मालिक श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पदम चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गोदाम का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दो कमरों में अलग—अलग ब्रांड सरस, कृष्णा, महान 500—500 ग्राम के 30—30 पैकेटों के 08 कार्टून व 898—898 ग्राम में घी अलग—अलग 03 कार्टून 15—15 किलोग्राम के साथ सरस एगमार्क 905—905 ग्राम के 13 नग तैयार शुदा रखे हुए थे जिन पर बैच नं. एल—370 एवं पैकिंग दिनांक मार्च 2021 एवं निर्माता जयपुर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि. गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर अंकित था। आवेदक द्वारा **घी सरस ब्राण्ड एगमार्क (Ghee Saras Brand Agmark)** का निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री पदम चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री पदम चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी सरस ब्राण्ड एगमार्क (Ghee Saras Brand Agmark)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 905–905 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी सरस ब्राण्ड एगमार्क (Ghee Saras Brand Agmark)** 905–905 ग्राम के 4 नग मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2850 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2850 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की एवं शेष बचे घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार सीज कर पुलिस थाना अधिकारी निवाई की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 21 / 2026 दिनांक 10.06.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. / 633 / एक्ट / 2021 / 667 दिनांक 10.05.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी सरस ब्राण्ड एगमार्क (Ghee Saras Brand Agmark)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zz)(iv) व 3(1)(zz)(xi) का उल्लंघन करने के कारण **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना विक्रेता श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को डाक से भिजवायी गयी।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध श्री पदम चन्द जैन ने समयावधि में धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया जिस पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी / एक्यूसीएल / एफ.एस.एस.ए / 733 एफ / 2021 दिनांक 17.09.2021 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं व उनके अभिभाषक श्री रमेश शर्मा उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करने का निवेदन किया। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी सरस ब्राण्ड एगमार्क (Ghee Saras Brand Agmark)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी सरस ब्राण्ड एगमार्क (Ghee Saras Brand Agmark)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 40,000/– (अक्षरे चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.03.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0